राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद. / 57526 / 2015 जयपुर, दिनांक : 28 JAN 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्ड के नवीनीकरण के संबन्ध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 27.03.2015**

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी जॉबकार्ड के नवीनीकरण के संबन्ध में विभाग द्वारा संदर्भित पत्रानुसार स्पष्ट किया जा चुका है कि **जॉबकार्ड जारी किया जाना या नवीनीकरण किया जाना एक सत्त प्रक्रिया** है। जारी जॉबकार्ड के **पूणरूपेण भर जाने के उपरान्त आवश्कतानुसार नया जॉबकार्ड जारी** किया जा सकता है।

योजनान्तर्गत कार्यों के निरीक्षण के दौरान श्रमिकों के जॉबकार्ड के निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ स्थानों पर **श्रमिकों के जॉबकार्ड भर चुके है अथवा फट गये** है परन्तु इनके स्थान पर **नया जॉबकार्ड जारी नही किया** गया है जबकि योजनान्तर्गत जॉबकार्ड एक प्रमुख दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि **जॉबकार्ड में रोजगार की मांग का विवरण, कार्य का नाम जिस पर रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा किये गये भुगतान आदि विवरण का इन्द्राज भी नही** किया गया है।

इस संबन्ध में यह **निर्देश जारी** किये जाते है कि जॉबकार्ड **के भर जाने अथवा फट जाने की स्थिति में नया जॉबकार्ड तुरन्त जारी किया** जावे परन्तु यह ध्यान रखा जावे कि **जॉबकार्ड का नम्बर में परिवर्तन नही** किया जावे, साथ ही इस प्रकार जारी जॉबकार्ड पर **नवीनीकरण का इन्द्राज** भी आवश्यक रूप से किया जावे। इसके अतिरिक्त **जॉबकार्ड में भुगतान राशि एवं भुगतान तिथि सहित सभी प्रविष्टियां आवश्यक** रूप से की जावे।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

PLEASE ENSURE COMPLIANCE

भवदीय

28/1/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस